2023 | 221

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट बनाम **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री दलपतसिंह परमार पुत्र स्व. श्री नरसिंह
निवासी राजमहल के पास
सिरोही
जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
कोषाधिकारी सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 55 वर्ष 2023

दिनाक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
12.10.2023	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी कोषाधिकारी सिरोही को दिनांक 04.09.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट की मासी श्रीमती कमला पत्नि स्व. श्री भूपतसिंह चौहान निवासी सिरोही के विधवा पेंशन प्रकरण में जारी पी.पी.ओ. में पंचायत समिति विभाग सिरोही का नाम दर्ज नहीं है, जिससे पंचायत समिति सिरोही द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अतः संशोधित पी.पी.ओ. में विभाग का नाम जारी करना फरमावें। उपरोक्त सूचना से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी कोषाधिकारी सिरोही को दिनांक 04.09.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट की मासी श्रीमती कमला पत्नि स्व. श्री भूपतसिंह चौहान निवासी सिरोही के विधवा पेंशन प्रकरण में जारी पी.पी.ओ. में पंचायत समिति विभाग सिरोही का नाम दर्ज नहीं है, जिससे पंचायत समिति सिरोही द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अतः संशोधित पी.पी.ओ. में विभाग का नाम जारी करना फरमावें। उपरोक्त सूचना से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी कोषाधिकारी सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/कोष/आरटीआई/2023–24/232 दिनांक 04.10.2023 के द्वारा अपीलांट को सूचित कर दिया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर से किसी भी प्रकार की अन्य कोई कार्यवाही/सूचना उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (हस्ताक्षर) (डॉ. भँवर लाल) **जिला कलक्टर, सिरोही**	